Seventeenth Series, Vol. XIX No. 4

Thursday, July 21, 2022
Ashadha 30, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Ninth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

(Vol. XIX contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Mahavir Singh

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Arora

Joint Director

Meenakshi Rawat

Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XIX, Ninth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 4, Thursday, July 21, 2022/Ashadha 30, 1944 (Saka)

S U B J E C T	**P A G E S**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 61 to 64, 67, 69 and 73	8-55
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 65, 66, 68, 70 to 72 and 74 to 80	56-113
Unstarred Question Nos. 691 to 920	114-701

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 702-708

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

62nd to 67th Reports 709

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

170th to 172nd Reports 710

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

365th Report 711

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE

117th Report 712

STATEMENTS BY MINISTER 713-715

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 281st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations /observations contained in the 276th Report of the Committee on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Civil Aviation 713

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 291st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Civil Aviation 714

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 302nd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 291st Report of the Committee on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Civil Aviation

Gen. (Retd.) Dr. V.K. Singh 715

MATTERS UNDER RULE 377 731-749, 753 - 754

(i) Need to amend existing guidelines pertaining to Jal Jeevan Mission

Dr. Heena Vijaykumar Gavit 731-732

(ii) Need to provide urea, DAP at subsidised rates to farmers in Chhattisgarh

Shri Arun Sao 733

(iii) Need to take necessary steps for growth of agriculture sector in the country

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 734

(iv) Regarding recent terror activity in Udaipur, Rajasthan and growing network of terrorist organization in the State

Shri Arjunlal Meena 735

(v) Regarding Nanded-Bidar Railway line project

Shri Prataprao Patil Chikhlikar 735

(vi) Need to include 'Margashirsha Shukla Ekadasi' as 'Antarashtriya Geeta Diwas'

Shrimati Keshari Devi Patel 737

(vii) Regarding augmentation of railway services providing better railway connectivity to Jalore district, Rajasthan

Shri Devaji Patel 739

(viii) Need to promote scientific instruments industries in Ambala, Haryana

Shri Rattan Lal Kataria 740

(ix) Need to saction Eastern Rajasthan Canal Project

Shrimati Jaskaur Meena 741

(x) Need to set up a Krishi Vigyan Kendra in Pataliputra Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Ram Kripal Yadav 742

(xi) Need to include Banjara community of Uttar Pradesh in the list of Scheduled Tribes

Shri Subrat Pathak 743

(xii) Regarding Corporate Social Responsibility initiative in Panipat Refinery & NDRI, Karnal in Haryana

Shri Sanjay Bhatia 744

(xiii) Regarding expeditious disinvestment of CCIL Kurkunta

Dr. Umesh G. Jadav 745

(xiv) Regarding construction of national highways in Rajsamand Parliamentary Constituency, Rajasthan

Sushri Diya Kumari 746

(xv) Regarding inclusion of natural fibers in Textile PLI Scheme

Shrimati Vanga Geetha Viswanath 747

(xvi) Regarding approval of city Water Action Plan under AMRUT 2.0 Scheme (CWAP)

Shri Rajendra Dhedya Gavit 748

(xvii) Need to restore Old Pension Scheme to teachers & employees of Navodaya Vidyalaya Schools

Shri Dileshwar Kamait 749

(xviii) Need to restore the operation of trains discontinued due to Covid-19 pandemic

Shri Subhash Chandra Baheria 752

(xix) Regarding redressal of electricity related grievances of the people in NCT of Delhi

Shri Ramesh Bidhuri 753-754

INDIAN ANTARCTIC BILL, 2022 755-756

*__ANNEXURE – I__

Member-wise Index to Starred Questions 733

Member-wise Index to Unstarred Questions 735-742

__*ANNEXURE – II__

Ministry-wise Index to Starred Questions 743

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 744

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA

Thursday, July 21, 2022/Ashadha 30, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 61 **–** श्रीमती पूनम महाजन।

… (व्यवधान)

11.02 hrs

At this stage Shri B. Manickam Tagore, Dr. Thol. Thirumaavalavan, Dr. T. Sumathi (A)Thamizhachi Thangapandian, Shri Hibi Eden and some other hon.Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: After Question Hour.

… (*Interruptions*)

(Q. 61)

श्रीमती पूनम महाजन : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर के रूप में मुझे यह समझ आया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल के बाद।

… (व्यवधान)

श्रीमती पूनम महाजन : वर्ष 2021 में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने, हम कैसे अपने आप को फॉजिल फ्यूल पर डिपेंडेंट न रखते हुए आने वाले समय में … (व्यवधान) नौ साल पहले ही हमने फॉजिल फ्यूल से 40 प्रतिशत, फॉजिल फ्यूल के अलावा जो ऑल्टर्नेटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को लेकर हमने मिक्सचर किया है। … (व्यवधान)

हमने यह बहुत अच्छी उपलब्धि की है, लेकिन मैंने सवाल स्कूलों के बारे में पूछा था। ... (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि आपने महाराष्ट्र के बारे में जवाब दिया, लेकिन पूरे देश भर के लिए क्या हमारे पास ऐसी इंटिग्रेटेड पॉलिसी है? ... (व्यवधान) आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी से हो सकता है, एमपी-एमएलए के फंड्स से हो सकता है, लेकिन हमें बहुत सारे काम हैं। ... (व्यवधान) क्या हम एक ऐसी इंटिग्रेटेड पॉलिसी बना सकते हैं, जिससे पूरे देश भर में हम हर स्कूल को क्लीन एनर्जी दे पाएं? ... (व्यवधान)

मैं मुंबई से आती हूं, हमारे यहां पूरे समय बिजली होती है, लेकिन आप गांवों-पहाड़ों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां छोटे-छोटे स्कूल्स होते हैं। ... (व्यवधान) मैंने राजकोट में देखा है, जींद में देखा है। ... (व्यवधान) कुछ-कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद काम करके स्कूलों में सोलर पैनल्स लगाता है। ... (व्यवधान) क्या हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ टाईअप करके यह काम कर सकते हैं?

श्री भगवंत खुबा : अध्यक्ष महोदय**,** माननीय सदस्या की चिंता है कि स्कूल्स को जो पॉवर मिलनी है**,** वह उचित मिले और सही गुणवत्ता में मिले। ... (व्यवधान) आज के दिन में**,** मार्च**,** 2020 तक भारत सरकार ने उस स्कीम को आर्टिजन्स के ऊपर चलाया था। ... (व्यवधान) आज के दिन में वह वाइबल हो गई है, उनके इनवेस्टमेंट की उनको केवल दो सालों के अंदर रिटर्न मिल जाती है। ... (व्यवधान) आज के दिन में भारत सरकार की स्कूल्स के ऊपर या कमर्शियल क्षेत्र के ऊपर कोई स्कीम नहीं चल रही है। ... (व्यवधान)

श्रीमती पूनम महाजन : अध्यक्ष जी, मैं इस सवाल के साथ एक सुझाव देना चाहती हूं।... (व्यवधान) जैसा हमने सोचा है कि कॉप-21 से कॉप-26 में पंचामृत नॉन फासिल फ्यूल के रूप में काम करना है। रेलवे भी वर्ष 2030 हम जीरो एमिशन करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं... (व्यवधान) नागपुर में जब हमारे मंत्री बावनकुले थे, तब उन्होंने सोचा था कि कैसे तीन सौ स्कूलों में सोलर पैनल से काम किया जाए।... (व्यवधान) हम हर समय इंटेग्रेटेड डिजिटल क्लास रूम के बारे में

बात करते हैं लेकिन हम बिजली के बिल नहीं चुका सकते हैं इसलिए क्लास रूम का ज्यादा यूज नहीं होता है।... (व्यवधान) आज के समय में हमें इंटेग्रेटेड डिजिटल क्लास रूम के लिए सोलर पैनल की बहुत जरूरत है। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि हमारी सरकार एजुकेशन मिनिस्ट्री और रिन्युएबल एनर्जी मिनिस्ट्री से बात करके इलेक्ट्रिसिटी क्लीन एनर्जी के लिए स्कूलों में अच्छी शिक्षा के लिए इंटेग्रेटेड डिजिटल क्लास रूम्स और अच्छे टायलेट्स देने के लिए क्या सोलर पैनल से कनेक्टेड कर सकते हैं? ... (व्यवधान)

श्री भगवंत खुबा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता किसी अन्य योजना से स्कूलों में सोलर पैनल लगाने की है।... (व्यवधान) ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री और उनकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंगों के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए अच्छी स्कीम्स लागू करने का हमारा प्रयास चल रहा है।... (व्यवधान)

श्री रामशिरोमणि वर्मा : महोदय, क्या मंत्री जी सदन को बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में कम्पोजिट विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सौर विद्युत पैनलों को लगाने की कोई योजना है या सरकार विचार कर रही है कि पढ़ने वाले बच्चों को लाइट तथा पंखे की सुविधा मिल सके और बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें।... (व्यवधान)

श्री भगवंत खुबा : अध्यक्ष जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई ऐसी स्कीम आज के दिन नहीं चल रही है।... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में ओक्सफैम की रिपोर्ट आई थी। उसमें कहा था कि 4.6 परसेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सैंटर्स को बिजली नहीं मिलती है।... (व्यवधान) कल इकोनॉमिक टाइम्स में आया कि सैंट्रल, पब्लिक इंटरप्राइजेज को सोलर पैनलों की खरीद में छूट देंगे। क्या प्राइमरी हेल्थ केयर सैंटर्स को सोलर पैनलों के द्वारा बिजली देने के लिए आपका कोई प्रावधान है? ... (व्यवधान)

श्री भगवंत खुबा : अध्यक्ष जी, हमने रूफटॉप सोलर योजना में ऑलरेडी पिछली पालिसी को और सिम्पलीफाई कर दिया है।… (व्यवधान) एग्जिस्टिंग स्टेट लेवल पोर्टल को हटाकर नेशनल रिन्युएबल पोर्टल पर एप्लाई करने को कहा है।… (व्यवधान) पहले सिर्फ एम्पैनल्ड वेंडर्स थे, लेकिन इस योजना को बढ़ावा देने के लिए आज के दिन हमने 'सिलेक्ट एनी वेंडर' का प्रावधान किया है।… (व्यवधान) हमने डिस्कॉम एप्रूवल के टाइम पर ही बिजली देने का एप्रूवल किया है और वेंडर्स टू पार्टिसिपेट इन बिडिंग था, इसे हमने और आसान किया है कि वेंडर केवल 2.5 लाख रुपये पे करेगा और गारन्टी को रजिस्टर किया है। सेंट्रल फाइनेंशियल एसिस्टेंस टू वेंडर – सीएफए के माध्यम से अभी कस्टमर को डायरेक्ट दिया है।… (व्यवधान) वैसे भारत सरकार और हमारा मंत्रालय डायरेक्टली किसी को नहीं देता है, लेकिन हमारी पॉलिसी के अंतर्गत उनको सारी सुविधाएं हमने प्रोवाइड कर दी हैं और उसको सेंट्रल फाइनेंशियल एसिस्टेंस मिल सकती है। धन्यवाद।… (व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, the Opposition, especially Congress Party and other parties, were demanding discussion on the price rise. … (*Interruptions*) हमने कल बताया और आपने भी स्वयं अपनी चेयर से बताया। दूसरे हाउस में भी चेयर से बताया गया कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। … (व्यवधान) श्रीमती निर्मला जी का स्वास्थ्य ठीक होते ही, उनके आने के बाद जब आप बी.ए.सी. में निर्णय करेंगे, तो हम प्राइस राइज़ पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।… (व्यवधान) यही लोग कह रहे थे कि हमें प्राइस राइज़ पर चर्चा चाहिए। … (व्यवधान) हमने 'हां' कह दिया है, तो फिर अब इनकी प्रॉब्लम क्या है? क्या ये लोग सदन चलाना चाहते हैं या नहीं? जिसके लिए ये अभी तख्तियां लेकर आए हैं, उस संबंध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कानून के समक्ष सब समान हैं या नहीं? … (व्यवधान) यदि वह कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, तो क्या सुपर ह्यूमन बीइंग हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कानून उनके लिए नहीं है? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही साढ़े ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

11.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

11.31 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty-One minutes past Eleven of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS …Contd.

HON. CHAIRPERSON: Question Nos. 62 and 69 are clubbed.

Shri Pradyut Bordoloi - Not present.

Dr. Rajdeep Roy - Not present.

Kumari G. Madhavi.

… (*Interruptions*)

(Q.62 and 69)

SHRI T. R. BAALU: Sir, what is this? … (*Interruptions*)

The Government is not responding. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please listen to the question and the answer.

… (*Interruptions*)

KUMARI GODDETI MADHAVI: Sir, the recent floods in Godavari river resulted in unforeseen misery for the tribals living in Andhra Pradesh who had to trek up the hills to save themselves from the floods. … (*Interruptions*) Can the Minister state the measures taken to ensure welfare of such people belonging to tribal communities in the State affected by the floods recently? … (*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU: Sir, I want a categorical reply from the Government. … (*Interruptions*)

11.32 hrs

At this stage, Shri T.R. Baalu, Shrimati Supriya Sadanand Sule and some other hon. Members left the House.

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: Sir, the hon. Member has expressed concern about the recent flood situation in river Godavari because of the excessive rains occurred in the catchment area. The Government of India is aware that a couple of hundred people have been evacuated or have been compelled to go to uphill locations to save their life and livelihood. Primarily, relief measures are to be taken by the State Government.

The Government of India through the recommendations made by the Finance Commission allocates funds to the States under the SDRF grants and, if desired and required, under the NDRF grants. That grant is available with the States. Primarily those measures have to be taken by the States. If desired by the State, the Government of India is going to extend support.

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मंत्री जी का जो जवाब है, उसमें सबसे अलार्मिंग जो है, वह मेरा राज्य है, वह पैसे का यूज ही नहीं कर रहा है। न पैसा जा रहा है, न पैसे का यूज कर रहा है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वह काम नहीं करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से प्रश्न है कि कई ऐसे राज्य हैं, जहाँ बालू का अवैध उत्खनन होता है। जो डैम बने हुए हैं, वहाँ सिल्टिंग हो गई है, लेकिन उसकी सिल्टिंग भी दूर नहीं हो रही है। जो रिवर्स हैं, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, वहां जो ड्रेन करना है, वह भी सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि स्टेट के ऊपर यह सारा कुछ निर्भर है और केंद्र सरकार पैसा देती है, लेकिन राज्य सरकारें खर्चा नहीं करती हैं, जैसा मैंने अपने झारखंड राज्य का उदाहरण दिया है। क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी है, जिसके आधार पर वह यह पता कर सके कि कौन-कौन राज्य ये काम नहीं करना चाहते हैं और फिर भी फ्लड आता है? प्रत्येक साल फ्लड के कारण भारी नुकसान होता है और अल्टिमेटली केंद्र सरकार को पैसा देना पड़ता है। हमारी सरकार लगातार 8 वर्षों से इन चीजों से जूझ रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार के पास इसकी क्या पॉलिसी है? धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय सदस्य का दर्द समझ सकता हूं और उन्होंने अपना दर्द जो शब्दों में बयान किया है, जो शब्दों के पीछे भी है, मैं उन सब के लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में जो राज्य सूची के विषय हैं, उन पर भारत सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए प्रारंभिक तौर पर राज्यों को ही इस विषय में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हम बार-बार राज्य सरकारों को इस विषय में आग्रह करते हैं, उनको एडवाइजरी भेजते हैं, उनको चिट्ठी भेजते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं और उनसे बार-बार इस बारे में अनुरोध करते हैं कि जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स तथा स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, दोनों फ्लड मिटिगेशन है, उस पर काम करें। हमने झारखंड राज्य को भी और अन्य राज्यों को भी इसके बारे में कहा है कि वह फ्लड-प्रोन जोनिंग पर काम करें। इस बारे में बार-बार आग्रह किया गया है, ताकि प्रत्येक वर्ष होने वाली

इस तरह की आपदा से नुकसान को रोका जा सके और लोगों के कष्ट को कम किया जा सके। मैं निश्चित ही माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे आग्रह में कहीं कमी नहीं होगी। लेकिन, अंतत: इस तरह की व्यवस्थाओं को करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार को ही प्राथमिकता के साथ इस पर काम करना पड़ेगा।

माननीय सभापति: श्रीमती रमा देवी **–** उपस्थित नहीं**।**

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE: Sir, Balagarh Assembly Constituency under Hooghly Lok Sabha Constituency of West Bengal has been facing a long-standing problem of fragmentation. Many areas in this Assembly Constituency are plagued by this breakdown problem. About 700 people, including 80 families and others, are directly affected by the collapse of more than 300 meters in Magra block.

My question to the hon. Minister is this. What is the Central Government thinking to stop the erosion of the Ganga and build river banks in this area? Many people in the other areas of this Assembly Constituency are victims of this erosion for a long time, such as Chandrahati 1,2 Panchayat, Nityanandapur 1,2 Panchayat, Dumurdah, Khamargachi, Somra Bazar, Jirat, Guptipara which also have this same erosion problem. Is the Central Government having any major plan to eradicate the erosion problem in all these areas?

Thank you.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय**,** भारत सरकार तटबंधों के टूटने और उनके इरोज़न के कारण होने वाली चुनौतियों से अवगत है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्यों

सरकारों के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने का काम करती है। अब तक भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश इन सारी गतिविधियों में किया है। प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारें अपनी डीपीआर बनाती है और डीपीआर बना कर भारत सरकार के पास भेजती है। पश्चिम बंगाल सरकार से आने वाली इस तरह की सभी डीपीआर पर हम विचार करेंगे। भविष्य में भी सरकार की जो नीतियां, पॉलिसी या स्कीम है, उसके तहत जो भी कुछ सहयोग भारत सरकार को करना है, वह निश्चित रूप से करेगी।

डॉ. संजय जायसवाल : माननीय सभापति महोदय, असम और बिहार की जो प्रॉब्लम है, वह बिल्कुल अलग है। हमारे यहां जो नदियां आती हैं, वह दूसरे देश से आती हैं। जैसे नेपाल से आती है, तो ऊपर कब डैम्स बनेंगे, कब उनका पानी रोका जाएगा, यह तो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन हर साल बिहारवासी और खास कर अगर हम बूढ़ी गंडक की बात करें तो हर साल हम इसका दु:ख भोगते हैं तथा हमारे पूरे इलाके में बाढ़ का पानी फैलता है। कहीं पर विभिन्न कारणों से उस नदी का फ्लैश फ्लड आता है, तो नेपाल में बह जाते हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न होगा कि क्या चंपारण और बूढ़ी गंडक की नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जिस प्रकार गंडक नदी पर एक डैम बना कर गंडक नदी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर लिया गया है, वैसे ही बूढ़ी गंडक की जो सब्सिडियरी रिवर्स हैं, यह ठीक है कि वे नेपाल में हैं।

लेकिन बूढ़ी गंडक की सब्सिडियरी रिवर्स जैसे बंगरी, सिरिस्वा और मसान नदियां हैं। उन सभी पर जो नेपाल से एंटर करती हैं, उन जगहों पर माइक्रो डैम्स बनाए जाएं और खास कर चम्पारण में क्लाइमेट रेजिलिएंट कृषि को बढ़ावा देकर हम किस तरह से चंपारण को बाढ़ से रोक सकते हैं? क्या इसके लिए भारत सरकार के पास कोई योजना है या नहीं है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति जी, यह सही है कि नेपाल में होने वाली बरसात के कारण बिहार में बाढ़ जैसी परिस्थिति बनती है। बिहार में एक बूंद बरसात भी न गिरे, लेकिन कई बार

ऐसा देखने में आया है कि वहां बाढ़ आती है। बाढ़ उत्तर प्रदेश में भी आती है। सदस्य ने प्रिडोमिनेंटली बिहार के विषय में पूछा है, क्योंकि बिहार के लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी ऐसी परिस्थिति बनी थी। बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा इन नदियों में इस तरह की परिस्थिति हर बार देखने में आती है। नेपाल सरकार के साथ, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारी वार्ता बांध बना कर वहां परमानेंट इस तरह के मेज़र्स क्रिएट किए जाएं, ताकि उनके माध्यम से एक फ्लड कुशन के रूप में बांधों का उपयोग करते हुए हम बाढ़ की स्थिति पर काबू पा सकें। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय विषय है और इस विषय पर अभी मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन, इसके अतिरिक्त नेपाल के साथ हमने फ्लड फोरकास्टिंग का एक सिस्टम डेवल्प किया है। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हम पहले 24 घंटे की फ्लड फोरकास्टिंग करते थे, अभी हमने नेपाल और भारत और भारत के दूसरे पड़ोसी देशों के साथ, जहां से, जिस कैचमेंट एरिया से हमारी नदियों में पानी आता है, उन देशों क साथ हमने अंडरस्टेंडिंग डेवल्प कर के और उनके साथ आईएमडी डेटा बेस्ड 5 दिन का फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम हमने डेवल्प किया है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आज जो सबसे बेहतरीन एडवांस फोरकास्टिंग सिस्टम है, उसी की तर्ज पर, उसी की लाइन पर, उतनी ही व्यवस्थित क्षमता हमने भारत में भी विकसित की है, ताकि अगर हम फ्लड को न रोक सकें, बेशक, लेकिन उसके कारण से आने वाली चुनौतियां, उसके कारण से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। उस पर काम कर रहे हैं। बांध बनाने का जहां तक विषय है, छोटे बांध बना कर के बाढ़ पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, यह निश्चित रूप से विवाद का विषय हो सकता है, डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन, जो बड़े बांध बनाने की योजना पहले से विचाराधीन है, उस पर हम नेपाल सरकार के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं।

श्री सुनील कुमार पिन्टू: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी डॉ. संजय बाबू ने कहा कि नेपाल में बारिश होती है और उसकी वजह से बाढ़ हम बिहारवासियों को झेलनी पड़ती है। हमारे बिहार में अभी सुखाड़ की स्थित है, बारिश कम हुई

है। मेरे संसदीय क्षेत्र में, माँ जगत जननी सीता की प्रकटस्थली सीतामढ़ी की बहुत सारी नदियां जो नेपाल से आ कर सीतामढ़ी हो कर पास करती हैं। जहां पर आपके बांध का निर्माण हो रहा है, जिसकी कार्यगति बहुत धीमी है। जिसके कारण अभी मेजरगंज रशलपुर में नदी की धारा मुड़ जाने से करीब 10-20 घर विस्थापित हो गए हैं।

अगर नेपाल के बॉर्डर तक बांध बन चुके हैं और उनके बांध को हम इंडिया में पूरी तरह बढ़ाते हुए, रेलवे लाइन तक अगर बना लेते हैं, ढाई किलोमीटर जो आपके यहां सैंक्शन होने के लिए पड़ा हुआ है, तो हम सैंकड़ों घरों को विस्थापित होने से और अनेकों गांवों को विस्थापित होने से बचा सकते हैं। जो यह बांध बनता है, उसके ऊपर अगर हम सड़क बना दें तो एक तो आवागमन की भी सुविधा होगी और बांध की संभावना भी कम होगी। … (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जिले की योजनाएं हैं, वे कब से कब स्वीकृत होंगी और कितनी जल्दी उनको बाढ़ से मुक्ति के लिए बांधों का निर्माण आप करा रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने बांध के विषय में बात कही है, मुझे लगता है कि उनका अभिप्राय तटबंध को ले कर है, एमबैकमेंट को ले कर है। नेपाल सरकार के साथ हमारा जो समझौता है, हम अपने यहां से फंडिंग कर के भी उनके क्षेत्र में इस तरह के तटबंधों को स्ट्रैंथन करने, निर्माण करने की दिशा में फंडिंग कर के काम करते हैं। बिहार सरकार ने इस तरह का प्रपोजल यदि कोई भेजा है तो वह किस स्तर पर लंबित है, इसकी जांच कर के माननीय सदस्य को इसके बारे में निश्चित रूप से सूचित करेंगे।

माननीय सभापति: श्रीमती भावना गवली (पाटील) **–** उपस्थित नहीं।

श्री अरविंद सावंत – उपस्थित नहीं। श्री प्रतापराव जाधव – उपस्थित नहीं।

श्रीमती संगीता आजाद जी।

(Q. 63)

श्रीमती संगीता आजाद : सर, आज पूर्वांचल के सभी जिले, जिसमें मेरा जिला आज़मगढ़ भी आता है, सूखे की मार झेल रहा है। माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वाकांक्षी योजना, भारतवर्ष की सभी नदियों को जोड़ने की थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस योजना पर कोई काम चल रहा है? यदि चल रहा है तो अब तक यह कितना पूरा हुआ है?

मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि भारत सरकार, राज्य सरकार को निर्देशित करे कि आज़मगढ़ की नहरों में, अनुपात में, जो बहुत कम पानी छोड़ा जा रहा है, उसे पूरा किया जाए, ताकि कम से कम वहां के किसान सिंचाई कर सकें और धान की रोपाई कर सकें।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : सभापति महोदय, हालाँकि माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, उसका मूल प्रश्न - 63 से कहीं कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन, चूंकि माननीय सदस्या ने पूछा है तो मैं अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि श्रद्धेय अटल जी के समय में जो कल्पना की गई थी कि सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जाए, तो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से उस पर काम हुआ था। आदरणीय नितिन गडकरी जी यहां बैठे हैं।

इनके समय में जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के 31 लिंक्स आइडैंटिफाई किए गए थे, जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सकता है, उन 31 लिंक्स की डी.पी.आर. भी बनी है, पी.एफ.आर. भी बनी है और उसके बाद राज्यों के पास आपसी समझौते के लिए उन सारे लिंक्स की फाइल्स पेंडिंग है।

महोदय, मैं अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं और इस पटल पर खड़े होकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन दोनों ने केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का जो उपक्रम था, जो लिंक था, उस पर दोनों राज्यों ने आपसी सहमति स्थापित की। भारत सरकार के

साथ उसका ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हो गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने उस 44,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को न केवल सैंक्शन किया है, अपितु पिछले बजट में उसके ऊपर 4,400 करोड़ रुपये सैंक्शन भी किए हैं। यह केवल एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, बल्कि यह देश में एक नई शुरुआत की तरफ इंगित करता है।

मैं मानता हूं कि इससे प्रेरणा लेकर बुंदेलखण्ड के जीवन में जो परिवर्तन आएगा, उसे देखकर अन्य राज्य भी प्रेरणा लेंगे। राज्यों का जो आपसी समझौता होगा, उसके आधार पर हम बाकी बचे हुए लिंक्स को पूरा कर पाएंगे। ऐसे क्षेत्रों में जहां हर साल बाढ़ आती है और हर साल सूखा पड़ता है, इन दोनों की समस्याओं का समुचित समाधान, समग्र समाधान और लम्बे समय तक के लिए समाधान करने में हम सफल हो पाएंगे।

SHRI MARGANI BHARAT : Thank you, hon. Chairperson, Sir. This is regarding the Polavaram Project. The discharge from the spillway of the Polavaram Project is about fifty lakh cusecs of water. But due to the recent floods, backwaters got stagnated at the spillway area. After the discharge from the spillway of the Polavaram Project, water straightway goes to Dowleswaram Barrage and after that, water goes into the sea. The Dowleswaram Barrage was built by Sir Arthur Thomas Cotton. The capacity of the Dowleswaram Barrage is around thirty-six lakh cusecs of water. The discharge from the spillway of the Polavaram Project is about fifty lakh cusecs of water and the discharge from the next project is around thirty-six lakh cusecs of water. In fact, the villages and the islands will be submerged. Is there any provision to build another project at Dowleswaram? The release of water from the spillway is about fifty lakh cusecs of water and the release of water from Dowleswaram Project is about thirty-six lakh cusecs of

water which is very less. I would like to ask whether there is any provision to consider this.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदय, गोदावरी नदी में वर्तमान में जिस डिस्चार्ज के कारण बैकवाटर्स की जो चुनौती खड़ी हुई है और उसके कारण जो डैमेजेज रजिस्टर हुए हैं, जो लोअर कॉफरडैम के कुछ हिस्से में जो ब्रीचेज हुए हैं तो मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उस पर हम निरन्तर दृष्टि बनाए हुए थे। हमने राज्य सरकार से भी बार-बार आग्रह किया था कि इसके काम को गति प्रदान करके इसे 31 जुलाई तक पूरा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन मौसम के यकायक करवट बदल लेने के कारण से, हमेशा जब मॉनसून आता है, उससे एक महीने पहले ही अतिवृष्टि होने के कारण कैचमेंट एरिया में जो पानी बढ़ा, उसके कारण यह चुनौती खड़ी हुई। लेकिन, हमने निरन्तर उसकी समीक्षा करते हुए, राज्य सरकार के साथ मिलकर काम किया, ताकि उस पर मिनिमम लॉसेज हों और उसके कारण से हमारा प्रोजेक्ट डिले न हो। हमने इसके ऊपर दृष्टि बनाए रखी और उस दृष्टिकोण से हमने निर्णय भी किया और उसका समाधान भी किया है। जहां तक माननीय सदस्य ने पोलावरम के डाउनस्ट्रीम में एक और प्रोजेक्ट दावलेश्वरम को बाँध के रूप में बनाने की चर्चा की है तो भारत सरकार में अभी इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट राज्य सरकार की तरफ से आकर विचार के लिए लम्बित नहीं है। जब राज्य सरकार भेजेगी तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। उसका टेक्निकल एप्रेज़ल होगा और उसके बाद ही उसके बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।

(Q. 64)

SUSHRI DEBASREE CHAUDHURI : I would like to know from the Minister whether it is a fact the Budget allocation for Pradhan Mantri Awas Yojana has been increased to Rs. 48,000 crore and of this, Rs. 28,000 crore is allocated for PMAY-U in 2022-23. If so, to what extent the Budget allocation has been increased for PMAY-U? What is the target set for completion in this current financial year and what is the achievement made so far?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, when the Pradhan Mantri Awas Yojana for the urban sector was announced on 25th June, 2015, the hon. Prime Minister said that it was his dream that by the time we celebrate 75 years of India's Independence, every Indian who needs a home, no matter where he or she lives, should have a pucca home over their heads with a toilet, kitchen, gas connection and all the amenities that a modern home should have for each of our citizens. So, I am very happy to announce and place before this House that by 31st March this year as against the target based on demand assessment which originally stood at one crore, we had already sanctioned one crore twenty-two lakh homes under four separate verticals. That has already been completed.

Out of this figure of one crore twenty-two lakh homes, sixty-one lakh homes under four different verticals have already been handed over to the beneficiaries. The remaining ones already stand grounded and given the technology in use, it takes typically between 12 months to 18 or 24 months or slightly more for the construction to be completed. We have exhausted and sanctioned all one crore

twenty-two lakh houses. The hon. Member wanted to know whether there is a budgetary provision in the current financial year. This budgetary provision has been made specifically to ensure that the homes which have been grounded and are in the pipeline be completed. The precise period of completion will depend on different projects. Some projects are being completed. Also, during the course of the implementation of the Pradhan Mantri Awas Yojana for the urban sector, the hon. Prime Minister had desired that we should try to incorporate the latest technologies in the construction sector. For this purpose, an entire year was devoted to organizing a global housing technology challenge.

As a result of which, 53 of the latest technologies which are being used in the construction sector throughout the world, these were shortlisted and I am also very happy to inform the House that out of these 53, six technologies were chosen to carry out lighthouse projects in six different cities in the country and these are being implemented. Some have already been completed. Some of these projects have already been handed over as part of this. This typically involved constructing 1,000 housing units in the period of one year.

Out of the budgetary allocation which the hon. Member has sought, in the Budget Estimates, Rs. 28,000 crore had been set aside, had been earmarked for the fiscal year 2022-23. Should the situation arise that some more money is required to complete the projects, I have no doubt that the Finance Ministry would consider but this is a scheme which has been very well implemented. All the one crore twenty-two lakh will get their homes very soon. Sixty-one lakh have already

got it and the budgetary provisioning will not prove to be an impediment, should the need arise to provide more.

SUSHRI DEBASREE CHAUDHURI: Hon. Speaker, Sir, I would like to know from the hon. Minister how much fund has been allocated and released to the West Bengal State for implementation of the PMAY-U during the last five years.

How many houses were constructed during the said period in West Bengal? I also would like to know whether any irregularities in the implementation of the scheme to build homes has come to the notice of the Union Government. If so, the details thereof and the action taken by the Union Government in this regard.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I think the hon. Member has slightly raised the canvass of the question. Insofar as the number of homes sanctioned and implemented under the different four verticals in the State of West Bengal are concerned, those statistics are available, I think, in the body of the answer. The figures for each State and Union Territory are given. For the rest, as far as I know, from memory, I can tell the hon. Member that in the case of West Bengal, of the two verticals which have been implemented, one is BLC.

BLC is Beneficiary Led provision. That is if you own a family home and it is in a state which requires some repair, then the Central Government gives Rs. 1.5 lakh to do up the place. In BLC, the figures for the State of West Bengal are as follows: The total number of houses sanctioned was 6,05,599; number of houses grounded are 4,03,854 and houses completed and delivered are 2,06,047. Under

the Affordable Housing and Partnership vertical which typically involves the State Government making available land, the Central Government and the State Government are providing some money for the construction of homes. The figures I have is, even though 3,542 homes were sanctioned, none has been grounded and therefore, none has been delivered. Under the CLSS -- it is an interest subvention scheme under which if a young professional wants to buy an apartment, then a bank typically provides a loan, say, at 12 per cent interest and we would provide a 3 per cent interest subvention upfront – 81823 loans have been sanctioned. These are done by designated banks. Out of these, the number of houses that have been grounded are 73,182 and the number of houses completed and delivered is 73,182. In other words, *in situ* slum rehabilitation and VHP, the State of West Bengal does not seem to have implemented the schemes. On the other two, I have shared the figures. If the hon. Member, should she so desire, I am always ready to go into other details. But I am not in a position to answer some of the questions for the simple reason that those are things for which the State Government has to bear responsibility on whether the construction is being done in compliance with the prescribed procedure or not.

माननीय सभापति : क्वैश्चन नंबर 67 और 73 क्लब कर रहे हैं।

क्वैश्चन नंबर 67।

श्री सी. एन. अन्नादुरई - उपस्थित नहीं।

श्री गजानन कीर्तिकर - उपस्थित नहीं।

श्री गणेश सिंह

(Q. 67 and 73)

श्री गणेश सिंह : प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना गरीबों का जीवन स्तर बदलने वाली योजना है। जब आजादी मिली थी, तो पहला नारा रोटी, कपड़ा और मकान देने का लगा था। दुर्भाग्यवश वह नारा चलता रहा, सरकारें आती गईं और बहुत लम्बे समय तक राज भी किया। वर्ष 2014-15 में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत की। आज देखते-देखते शहरों में 1 करोड़ 22 लाख मकान स्वीकृत हो चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग ढाई करोड़ से ज्यादा मकान बन चुके हैं। यह सचमुच जीवन स्तर बदलने वाली योजना है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आवास प्लस योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, क्या शहरी क्षेत्र में भी, इसमें जो लोग छूट गए हैं, उनको मकान देने के लिए कोई नई योजना इसमें शामिल करने जा रहे हैं?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would try to give a quick reply. माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, is a very pertinent question. यह जो केंद्रीय योजना है, स्टेट्स की तरफ से जो डिमांड असेसमेंट आई थी, हमने अपनी योजना उसको लेकर बनाई। शुरू से हमें यह कहा गया कि सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटॉरीज़ में मिलाकर करीब 1 करोड़ की डिमांड असेसमेंट होगी। जैसे-जैसे स्कीम इम्पिलिमेंट होती गई, यह बढ़ती चली गई, 1 करोड़ 12 लाख हो गई और उसके बाद 1 करोड़ 22 लाख हो गई। मैं माननीय सदस्य जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो लाभार्थी हैं और हमें जो फीडबैक मिला है, उनकी जिन्दगी और उनके परिवार के लिए यह स्कीम एक बहुत फंडामेंटल

ट्रांसफॉर्मेशन लायी है। इस समय जो स्कीम है, हमारा एक वर्टिकल 31 मार्च, 2021 को ही खत्म हो गया था, जो मिडल इनकम ग्रुप सीएलएसएस का वर्टिकल था, बाकी स्कीम 31 मार्च, 2022 को एग्जॉस्ट हो गई, हम आने वाले साल में कम्पलीट करेंगे। यह हापोथेटिकल सवाल है, बाद में स्टेट की तरफ से डिमांड असेसमेंट और आएगा, Then the Centre will take a view on that. इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 65, 66, 68, 70 to 72 and 74 to 80

Unstarred Question Nos. 691 to 920)

(Page No. 56-701)

माननीय सभापति: प्रश्न काल समाप्त।

---

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. CHAIRPERSON : Now Papers to be laid on the Table.

General (Retd.) V.K. Singh.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Aircraft (Third Amendment) Rules, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.192(E) in Gazette of India dated 20th March, 2020 under Section 14A of the Aircraft Act, 1934, together with an explanatory note.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7151/17/22]

(3) A copy of the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.203(E) in Gazette of India dated 15th March, 2022 under Section 37 of the National Highways Authority of India Act, 1988, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 7152/17/22]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956:-

I. S.O.1135(E) published in Gazette of India dated 11th March, 2022, regarding user fee notification for the project of four lane of Bellary to Byrapura Section from Design Km. 266.820 to Design Km. 308.550 of NH- 150A in the State of Karnataka.

II. S.O.1188(E) published in Gazette of India dated 16th March, 2022, regarding amendment in S.O. No. 4457 (E) dt. 13.12.2019 for Ranchi Piska More-Bijupara- Kuru (3.600 to Km. 55.00) in the State of Jharkhand on EPC mode.

III. S.O.1203(E) published in Gazette of India dated 17th March, 2022, regarding user fee notification for the project of six laning of National Corridor NH-19 from Palsit to Dankuni section from km 588.870 to km 652.700 (total design length 63.830 km) in the state of West Bengal under Bharatmala Pariyojana on BOT (Toll) basis.

IV. S.O.1204(E) published in Gazette of India dated 17th March, 2022, regarding user fee notification for the project of Panagarh to Palsit section from Km.521.120 to Km.588.870 on NH-19 in the State of West Bengal under Bharatmala Pariyojana on BOT (Toll) basis.

V. S.O.1374(E) published in Gazette of India dated 25th March, 2022, regarding user fee notification for the project of four laning of Medeshi-Washim-Sawarkheda (Hingloli) Section from design kilometer 60.725 to kilometer 128.200 (existing km 63.600 to km 132.760) of NH-161 in the State of Maharashtra on EPC mode.

VI. S.O.1423(E) published in Gazette of India dated 28th March, 2022, regarding amendment in the notification published vide S.O. No. 3022 (E) dated 22.08.2019 for the project of Kanaktora to Jharsugada section from Km. 0.000 to Km. 68.000 (Design Chainage from Km. 197.300 to Km. 263.040) of NH-49 (Old NH-200) in the State of Odisha.

VII. S.O.1424(E) published in Gazette of India dated 28th March, 2022, regarding user fee notification for the project of Four laning of Simaria – Khagaria Section from deisgn Km. 206.050 to Km. 266.282 (existing Km. 209.945 to Km. 270.000) of NH-31 in the State of Bihar.

VIII. S.O.1425(E) published in Gazette of India dated 28th March, 2022, regarding user fee notification for the project of Kallagam to Meensurutti Section from design Chainage Km. 38.700 to Km. 98.433 of NH-227 in the State of Tamil Nadu.

IX. S.O.1426(E) published in Gazette of India dated 28th March, 2022, regarding user fee notification for the project of Four laning of Trichy to Kallagam Section from design Km. 0.000 to Km. 38.700 of NH-227 in the State of Tamil Nadu.

X. S.O.1448(E) published in Gazette of India dated 29th March, 2022, regarding user fee notification for the project of Devaliya to Rajpipla Section from design Km. 459.500 to Km. 483.500 of NH-56 in the State of Gujarat.

XI. S.O.1449(E) published in Gazette of India dated 29th March, 2022, regarding user fee notification for the project of Four laning of Janavali to Patradevi Section from Km. 395.000 to 460.410 of NH-66 in the State of Maharashtra.

XII. S.O.1450(E) published in Gazette of India dated 29th March, 2022, regarding user fee notification for the project of Jhadol-Ambhabelly Section from design Km. 43.900 to Km. 91.00 (existing Km. 51.515 to Km. 2.690 of VR) of NH-58E in the State of Rajasthan.

XIII. S.O.1451(E) published in Gazette of India dated 29th March, 2022, regarding user fee notification for the project of Satna-Bela Section from design Km. 155.000 to Km. 202.040 (existing Km. 155.000 to Km. 202.040) of NH-75 (New NH-39) in the State of Madhya Pradesh.

XIV. S.O.1452(E) published in Gazette of India dated 29th March, 2022, regarding user fee notification for the project of Four laning of Warora-Wani Section from design Km. 313.850 to Km. 332.160 (existing Km. 6.145 to Km. 21.475) of NH-930 in the State of Maharashtra.

XV. S.O.1535(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2022, regarding amendment in published notification bearing No. S.O. 104 (E) dated 18.01.2010 for the project of Six laning of Delhi-Agra Section of NH-2 from Km. 20.500 to Km. 200.000 in the State of Haryana/Uttar Pradesh under NHDP Phase-V as BOT (Toll) on DBFOT Pattern.

[Placed in Library, See No. LT 7153/17/22]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदय**,** मैं अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क का भुगतान) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/02/2022-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

2) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विपथन भुगतान निपटान प्रणाली और संबंधित मामले) विनियम, 2022 जो 22 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7154/17/22]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापति महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऑयल इण्डिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7155/17/22]

(दो) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7156/17/22]

(तीन) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7157/17/22]

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनिमय) संशोधन विनियम, 2022 जो 6 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/फिन/9-गैस ईएक्स(2)/2021(पी-3676) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7158/17/22]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री कौशल किशोर**): **मैं** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7159/17/22]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(एक) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7160/17/22]

(दो) भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7161/17/22]

12.01 hrs

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

62nd to 67th Reports

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): **सभापति महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन** (**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**) **सभा पटल पर रखता हूं**:-

(1) 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 62वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (स्वीकृत)' के बारे में 63वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत)' के बारे में 64वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 65वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (स्वीकृत)' के बारे में 66वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत)' के बारे में 67वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

12.02 hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

170th to 172nd Reports

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल सहित निर्यात हबों के रूप में जिलों (डीईएच) का क्रियान्वयन' के बारे में 170वां प्रतिवेदन।

(2) 'विशेष रूप से दार्जिलिंग क्षेत्र में भारतीय चाय उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दे' के बारे में 171वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत में ई-कॉमर्स का संवर्धन और विनियमन' के बारे में 172वां प्रतिवेदन।

---

* ये प्रतिवेदन 15 जून, 2022 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए थे। उक्त प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को भी अग्रेषित की गई थी।

12.02 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

365th Report

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): I beg to lay on the Table Volume-I (Hindi and English versions) of 365th Report[#] containing 'Recommendations of the Committee' on "The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2021" of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change.

2. Also, to lay Volume-II (in the language received) of the 365th Report containing 'Memoranda submitted by individuals/experts/ institutions'.

[#] The Report was presented to Hon'ble Chairman, Rajya Sabha on 21st April, 2022 under Direction 30(i) of Directions by the Chairman, Rajya Sabha when the House was not in Session and Hon'ble Chairman was pleased to order for the publication and circulation of the Report under direction 30 (ii) and forwarded to Hon'ble Speaker, Lok Sabha on the same day.

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
117th Report

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): I beg to lay on the Table, Volume-I (Hindi and English version) of 117th Report[#] on "The Mediation Bill, 2021" of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice.

2. Also, to lay on the table volume-II (in the language received) of the 117th Report containing 'Memoranda submitted by individuals / experts / institutions'.

[#] The Report was presented to Hon'ble Chairman on 13th July, 2022 under Direction 30 (i) of Directions by the Chairman, Rajya Sabha when the House was not in Session and Hon'ble Chairman was pleased to order for the publication and circulation of those Reports under Direction 30 (ii) and forwarded to Hon'ble Speaker, Lok Sabha on the same day.

12.04 hrs

STATEMENTS BY MINISTER

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 281st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations /observations contained in the 276th Report of the Committee on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Civil Aviation*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 281st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 276th Report of the Committee on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Civil Aviation.

---

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 7148/17/22

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 291st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Civil Aviation*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 291st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Civil Aviation.

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 7149/17/22

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 302nd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 291st Report of the Committee on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Civil Aviation*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 302nd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 291st Report of the Committee on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Civil Aviation.

---

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 7150/17/22

माननीय सभापति: एडवोकेट अदूर प्रकाश **-** उपस्थित नहीं।

कुमारी गोड्डेति माधवी ।

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Thank you, hon. Chairman, Sir, for this opportunity. Coffee cultivation work undertaken by tribal farmers in Andhra Pradesh's Araku valley and Paderu area, earlier included under MGNREGA, was removed from the Scheme by the Union Government in September, 2020.

The Government's decision to delist the work from MGNREGA has adversely affected around 1.60 lakh tribal farmers in Andhra Pradesh, who depended on coffee cultivation as their main source of agricultural income.

Sir, I request the hon. Minister of Rural Development to relist the coffee cultivation work under MGNREGA as coffee grown in these areas exclusively by tribal farmers is a special case. The discontinuation of wages under MGNREGA has affected a lot of coffee producers and plantation workers in Andhra Pradesh.

माननीय सभापति: श्री एम. के. राघवन **–** उपस्थित नहीं।

श्री तेजस्वी सूर्या **-** उपस्थित नहीं।

श्री धर्मवीर सिंह

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): माननीय सभापति जी, आजकल हरियाणा प्रदेश में रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से गांव की बस्तियों के लिए लाल डोरा मुक्त स्वामित्व योजना चलाई जा रही है। ड्रोन से जगह देखी जाती है कि किसका मकान कहां था। मेरे इलाके और बहुत से गांवों से शिकायतें आई हैं कि ड्रोन प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है और मिल-मिलाकर जगह किसी की होती है और

मकान किसी का दिखा देते हैं। मेरे क्षेत्र में ज्यादातर व्यापारी वर्ग मुम्बई, कोलकाता और सूरत में रहते हैं और पीछे से दूसरों के नाम चढ़ाने की वजह से बहुत मुश्किल आ रही है।

मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इसका कोई निपटारा करे। धन्यवाद।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): माननीय सभापति जी, पूरे देश और विशेषकर मुम्बई शहर में भवन निर्माण के विकास कार्यों के बहुत से प्रकल्प पर्यावरण प्राधिकरण के लोगों द्वारा उत्पन्न परेशानियों की वजह से बंद पड़े है। आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि देश में सिस्टम है, व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से नियम बनाया गया है, उस नियम को न मानने का काम पर्यावरण प्राधिकरण के लोग करते हैं।

अगर मैं मुम्बई शहर में स्लम डेवलपमेंट की बात करूं तो 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग झोंपड़-पट्टी में रहते हैं। झोंपड़-पट्टी वालों को विकास के नाम पर भाड़ा देकर बाहर शिफ्ट कर देते हैं और पर्यावरण प्राधिकरण के लोग 6 से 12 महीने तक परेशान करते हैं और परमिशन नहीं देते हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सिम्पल बात है, झोंपड़-पट्टी है तो वहां पॉल्युशन होता है, गंदगी फैलती है। झोंपड़-पट्टी को निकालकर भवन निर्माण होता है तो पर्यावरण में बहुत लाभ होगा। इसके बावजूद भी पर्यावरण प्राधिकरण के अधिकारी उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर परेशान करते है और फाइन करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में दो-तीन बार टिप्पणी की है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर मैं खुलकर कहूं तो ब्लैकमेलिंग की जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है। यहां ब्यूरोक्रेसी की बहुत धांधली मची हुई है। भगवान ने अच्छा किया है कि वहां सरकार बदल गई।

मेरी आवाज आपके माध्यम से वहां तक पहुंचेगी तो झोंपड़-पट्टी वासियों के लिए भवन निर्माण मददगार साबित होगी। उन्हें अच्छा घर मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा और इन लोगों

के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आ जाएगा। मैं एक मिनट और लूंगा, मैं कभी इस बात पर हैरान होता हूं कि हम सबने जो व्यवस्था बनाई है, वह लोगों की मदद करने के लिए है या परेशान करने के लिए है? इसका कहीं न कहीं ऑडिट होना चाहिए। इस प्रकार की धांधली मचाने वाले अधिकारियों को लाइमलाइट में, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। इसकी भी एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। मुम्बई में …* करके एक अधिकारी हैं, कुछ लोगों का उनके बारे में कहना है कि अच्छे हैं और कुछ लोग कहते हैं बुरे हैं। मुझे पता नहीं है। मुम्बई में एसआरए डेवलपमेंट के लिए भी दो लाख स्कवेयर फीट का नियम बना दें, सीईओ एसआरए परमिशन दे। दो लाख से चार लाख स्कवेयर फीट का नियम बना दें, सीईओ एसआरए डायरेक्ट परमिशन दे देगा। प्राधिकरण के लोगों को नियम बनाना चाहिए, फाइल टू फाइल इनके पास नहीं भेजना चाहिए। ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है। मैं आपके माध्यम से इस आवाज को महाराष्ट्र और मुम्बई तक पहुंचाने की विनती करता हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री बसंत कुमार पंडा – उपस्थित नहीं।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Hon. Chairperson, here, I am requesting the hon. Prime Minister to take immediate steps for early sanction of ENCORE project of coastal area. The ENCORE (Enhancing, Coastal and Ocean Resource Efficiency) Project is strategically an important project for providing sustainability to the coastal population and conservation and protection of coastal resources. The length of Andhra Pradesh coastal line is the second largest line with 974 kilometres next to Gujarat. High sea erosion is being noticed especially in East Godavari and other districts of Andhra Pradesh during every natural calamity.

---

*Not recorded.

Sir, irrespective of full moon or no moon, coastal waves hit at Uppada, Konapapapeta, and in Pitampura in my Parliamentary Constituency. The Kakinada-Uppada road is gradually disappearing due to shoreline erosion. So, there is every need to minimise the human loss besides property and other losses during calamities.

Sir, ENCORE Project phase-I had already been approved by the Ministry of Environment and Forests, and placed before the Cabinet Committee of Economic Affairs(CCEA) for its approval.

Hence, I would request the hon. Prime Minister to take stringent measures for early sanction of the ENCORE Project in Andhra Pradesh and other coastal States for safeguarding coastal population and fishermen. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Shri M. Srinivas Reddy-ji – Not present

Shri Varun Feroze Gandhi-ji – Not present

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Hon. Chairman, Sir. I am raising an issue which the hon. Minister Dr. Jaishankar, Government of India had also spoken about. It is about burgeoning deaths in various States, and the precautions that we would have to take wherein several States are likely to go the Sri Lankan way.

In this regard, I would like to bring one submission that recently in my own State of Andhra Pradesh, the income which was supposed to go to the State Exchequer Treasury, is being diverted to a Corporation … (*Interruptions*)

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Do you have any knowledge on it? … (*Interruptions*)

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU : Sir, let me speak. … (*Interruptions*) Sir, I am not allowed to enter my Parliament … (*Interruptions*) I am not allowed to speak … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: प्लीज आप अपनी बात रखिए।

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: Why are they talking unnecessarily?

HON. CHAIRPERSON: Mr. Raju, you just make your point.

… (*Interruptions*)

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: Yes, Sir.

The Government of Andhra Pradesh has come up with an Act 9 of 2022 wherein the income which was supposed to have accrued to the Treasury has been diverted to the AP State Beverages Corporation, and against that… (*Interruptions*)

SHRI MARGANI BHARAT: Do you have any evidence? … (*Interruptions*)

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU : Yes, I have an evidence. I have the Act. … (*Interruptions*)

SHRI MARGANI BHARAT : Do not shout. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Raju, please address the Chair, and complete your submission.

… (*Interruptions*)

SHRI MARGANI BHARAT : Sir, he cannot shout like this. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: श्री राजू जी**,** आप अपनी बात रखिए और केवल चेयर को एड्रेस कीजिए।

… (व्यवधान)

SHRI MARGANI BHARAT : He has no decency at all. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Bharat, please sit down.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: श्री राजू जी**,** आप केवल अपनी बात रखिए।

(व्यवधान)

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU : Sir, I am addressing the Chair. … (*Interruptions*)

So, the point is that the amount which was supposed to have been accrued to the State Exchequer is being diverted to a Corporation, and against that Corporation, they are raising loans, which is now the concern for the Government of India also. They are talking that additional loans should not be taken. … (*Interruptions*)

I will give all the details. Just because someone is managing some institution, it would not take us anywhere. … (*Interruptions*) I will give all the details. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Rattan Lal Kataria-ji

… (*Interruptions*)

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। यह एयरपोर्ट मोहाली, पंजाब क्षेत्र में स्थित है, जबकि हरियाणा राज्य भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली ट्राई सिटी के लिए यह अत्यंत आवश्यक एयरपोर्ट है। वहां से घरेलू उड़ानों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का भी संचालन किया जाता है। पंचकुला के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए मोहाली की तरफ से 25 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जबकि पंचकुला से एयरपोर्ट मात्र चार-पांच किलोमीटर लंबा है। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी न होने के कारण यात्रियों पर समय व ईंधन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

यह सरकार की स्वच्छ पर्यावरण की प्रतिबद्धताओं के भी विपरीत है। पंचकुला को हरियाणा सरकार ने मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया है। जिस प्रकार से गुड़गांव और फरीदाबाद का विकास हरियाणा प्रदेश में पिछले 50 सालों में हुआ है, सरकार का इस तरफ पूरा ध्यान है। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में जनसंख्या के दबाव को देखते हुए सरकार पंचकुला को एक बहुत ही बेहतरीन शहर के रूप में विकसित करना चाहती है। उसके लिए यह आवश्यक है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हरियाणा की ओर से रास्ता दिया जाए।

महोदय, मैं माननीय सड़क व परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि एयरपोर्ट के लिए पंचकुला की ओर से कनेक्टिविटी दी जाए, ताकि यात्रियों की सुविधाओं के साथ-साथ समय व ईंधन के बोझ को कम किया जा सके।

* **SHRI SURESH PUJARI (BARGARH):** Thank you Sir. Today, I want to raise a very important issue concerning the State of Odisha. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, many schemes have been launched for the upliftment of the poor and for the benefit of the farmers. Among them, Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana is the most ambitious one. But in Odisha, the Scheme has been totally derailed.

Last year on 7 December, 2021, I had raised the same issue in this House. Sir, I represent the Bargarh Constituency which includes the district of Jharsuguda also. The Bargarh district accounts for $1/7^{th}$ of paddy production in the State of Odisha. The Government has made an agreement for crop insurance with a company called STFC Agro Insurance. The said Company is not ready to pay the farmers their due for two consecutive years.

Sir, I want to inform you that 8,25,868 non-loanee and 6,076,77 loanee registered with the Company had applied for insurance amount. The Company is rejecting their claims after the due date without any valid reason. Regarding claims, four lakh twenty thousand applications have been reverted, one lakh thirty nine thousand and five applications have been rejected and many cases are still

---

*English translation of the speech originally delivered in Odia.

pending. As a result of which, a large number of farmers are incurring heavy losses.

Another issue I would like to raise here is about crop cutting. The State Government has not yet uploaded the requisite information. The insurance company is dodging the issue. Not only in Bargarh Sir, in the entire State of Odisha, the Crop Insurance Scheme has been a big failure. Sir, through you, I want to request the Hon. Ministers of Finance and Agriculture to ask for ground report from the State Government of Odisha. They must inquire why this kind of treatment is being meted out to farmers. STFC Company should be black listed and should not be allowed to operate in any part of the country. The registered farmers should get their compensation as early as possible. Sir, I need your intervention. Thank you.

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण**,** जो कोई भी विषय के साथ संबद्ध करना चाहते हैं**,** वे स्लिप दे सकते हैं।

श्री रितेश पाण्डेय – उपस्थित नहीं।

श्री अरविंद सावंत जी।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : आदरणीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि मैं पिछले पांच-छः सालों से एक विषय को लेकर बहुत व्यथित हूं और उसको बार-बार यहां पर रखता हूं।

महोदय, महाराष्ट्र में जो बीडीडी चॉल्स हैं, उनके तीन-चार कॉम्पलेक्स हैं। ये नायगांव, वर्ली, एनएम जोशी मार्ग और शिवडी में हैं। राज्य सरकार ने उनके पुनर्विकास करने के बारे में तय किया है और पुनर्विकास का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन जो शिवडी वाला क्लस्टर है, बाकी के जो तीनों

क्लस्टर्स हैं, उसकी जमीन राज्य सरकार की है। जो चौथा अर्थात् शिवडी वाला क्लस्टर है, वह केन्द्र सरकार के मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर है। उसने आज तक अनुमति नहीं दी है। वहां पर करीब 960 लोगों के मकान हैं। उसमें 16 बिल्डिंग्स हैं। राज्य सरकार ने तय किया है कि उन बिल्डिंग्स का पुनर्विकास किया जाएगा और पैसा भी वही देगी। इनको मुफ्त में घर मिलने वाले हैं, वह भी 600 स्क्वॉयर फीट के घर मिलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आज भी केन्द्र सरकार निर्णय नहीं ले रही है। इसे अब कोई भी नहीं कर सकता है इसलिए मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इनको वंचित क्यों किया जा रहा है? केन्द्र सरकार के लिए एक उपलब्धि और है। वहां पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नाम से एक रास्ता जा रहा है, नवी मुम्बई में जो नया हवाईअड्डा बनने जा रहा है, उसके लिए वहीं से रास्ता जा रहा है। उसी शिवडी बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है। इसलिए कल को उस जमीन पर मकान तो तोड़ने ही होंगे। जमीन मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट की है। मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने ट्रांस हार्बर लिंक के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन इन बिल्डिंगों के लिए अनुमति नहीं दे रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे खुद इस विषय पर ध्यान दें। यह कोई अनधिकृत निवास नहीं है। यह अधिकृत निवास है। यह कोई झुग्गी-झोपड़ियों का विषय नहीं है। वह अलग विषय है। मैं उसके ऊपर भी कभी बोलूंगा, लेकिन आज अधिकृत होने के बावजूद भी ये मकान पुराने हैं और कभी भी ढह सकते हैं। अगर आज आप वहां बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको हर टॉयलेट में लिकेज मिलेगा। ऐसी स्थिति में वहां कॉमन टॉयलेट्स हैं। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी स्वयं इस विषय पर ध्यान देकर शिवडी के बीडीडी चॉल के पुनर्वास के लिए जल्दी से जल्दी अनुमति दें, ताकि राज्य सरकार उसका काम शुरू कर सके।

माननीय सभापति: श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, उपस्थित नहीं।

श्री हिबी इडन, उपस्थित नहीं।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, उपस्थित नहीं।

श्री राहुल रमेश शेवाले.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, धन्यवाद। पिछले कई सालों से देश के पहाड़ी इलाकों और कोस्टल क्षेत्रों में बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं जैसे कि मुम्बई (2005), उत्तराखंड (2013), केदारनाथ (2013), महाराष्ट्र में मालिन गांव (2014) और इसी महीने अमरनाथ (2022) में बादल फटने की घटनाओं में जान माल का भारी नुकसान हुआ है और देश ने जीवन और कृषि उपज के नुकसान के रूप में कीमत चुकाई है। इसी सप्ताह में हिमाचल में भी बादल फटने की गंभीर घटना हुई है। बादल फटने से मिट्टी का कटाव, सड़कों और रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन और यहां तक कि पहाड़ी इलाकों में निचले इलाके जलमग्न हो जाते हैं। मैं आपका ध्यान वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और मुंबई जैसे शहरों में शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव तथा महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों की ग्रामीण आबादी और विशेष रूप से मुंबई जैसे मेगा शहरों में लगभग हर क्षेत्र में कठिन समय का सामना करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मुंबई शहर के परिवहन, तूफान का पानी, पीने का पानी, जल निकासी, सीवेज उपचार, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बढ़ते जोखिम जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार ने एमसीजीएम के माध्यम से ग्रेटर मुंबई के नगर निगम को क्लाउड बर्स्ट या भारी वर्षा के हाइड्रोलिक मॉडलिंग और संबंधित भौतिक और सामाजिक क्षति तथा इसके प्रभावों के माध्यम से अभिनव समाधान विकसित करने के लिए क्लाउडबर्स्ट रेजिलिएंसी प्लानिंग स्टडी आयोजित करके ध्यान केंद्रित किया है और दक्षिण मध्य मुंबई के क्षेत्र में एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है तो आपदा प्रबंधन विभाग या जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या मुंबई के बीएमसी के माध्यम से इस प्रस्ताव को तुरंत लागू करना चाहिए।

हम उम्मीद करते हैं कि अध्ययन के परिणाम के रूप में, निर्दिष्ट अध्ययन क्षेत्र दक्षिण मध्य मुम्बई के अवसरों की पहचान करके चरम स्थितियों के लिए प्रतिधारण और वाहन प्रदान किया जाए, जिससे सामान्य परिस्थितियों में सामुदायिक और पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान किए जा सकें।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार, विश्व बैंक, एडीबी एशियाई विकास बैंक से वैचारिक डिजाइन और बजट अनुमान अनुमोदन और वित्त पोषण और एनजीटी, पर्यावरण और वन मंत्रालय, व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर (विस्तृत योजना रिपोर्ट) से पायलट परियोजना क्षेत्रों के लिए पर्यावरण और वैधानिक अनुमोदन मुंबई से शुरू करके सम्पूर्ण देश में लागू किया जाए, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों एवं मुंबई और देश के अन्य भागों को क्लाउड बर्स्ट से सुरक्षित किया जा सके।

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity. I would like to raise an important issue relating to my Constituency Kalaburagi, Karnataka. I would like to bring to your kind notice that the Kalaburagi city has outgrown beyond the existing ring road at an alarming rate.

The traffic on NH 150E, NH 50, and NH 150 is very high, and people have to travel on the existing ring road along with the Kalaburagi city traffic, resulting in heavy traffic congestion and also poor riding quality. Hence, a new bypass is required for safe, smooth, and congestion free movement of traffic. The proposed length of the bypass is 41.43 km, starting from its junction with NH-150E and ending at its junction with NH-50.

The proposed bypass is a four-lane bypass with paved shoulder carriageway. The alignment connection between NH-150E and NH-50 *via* NH-150 has already been approved by the Ministry on 14.02.2017, and Notification under rule 3(a) had also been published in the Gazette on 09.01.2019.

The declaration of NH to this proposed bypass is awaited from the Ministry, that is, it is pending in the Planning Department of the Ministry. This is inclusive of land acquisition cost in the current Annual Plan. This needs to be approved.

The Government of Karnataka has agreed to this. सर, मैं कल मुख्यमंत्री बोम्मई जी से मिलकर आया हूं। He has agreed to bear 50 per cent of the land acquisition cost. यह विषय मैंने बहुत बार 'ज़ीरो ऑवर' में रेज किया है और स्टार्ड क्वेश्चन में भी माननीय गडकरी जी ने रिप्लाई दिया है। This has to be approved at the earliest. Sir, through you, I request the Government that it should give the approval at the earliest, that is, in another 2-3 months' time. Thank you, Chairperson Sir.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): सर, सारा सदन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पंजाब को ग्रेनरी ऑफ दि कंट्री इसलिए कहा जाता है, क्योंकि पिछले 70 सालों में हमारे देश के अन्न भंडार में व्हीट और राइस का सबसे ज्यादा योगदान पंजाब से आता रहा है। पंजाब के किसानों ने पिछले समय में एक बड़ा आन्दोलन किया, जो सारे देश ने देखा, जिसमें 700 किसान शहीद भी हो गए। जब वह आन्दोलन खत्म करने के लिए 9 दिसम्बर, 2021 को सरकार ने किसानों को कहा था कि हम ये कानून वापस लेते हैं, तब जो चिट्ठी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किसानों को दी थी, उसमें क्लियरली कहा गया था, उसमें नम्बर वन पॉइंट यह था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसका मैंडेट यह होगा कि देश के किसान को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जा सकता है। यह नम्बर वन पॉइंट था और यह उनका नम्बर वन एजेंडा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हमें एक लीगल राइट दिया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस महीने की 12 तारीख को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से एक गज़ट नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें वे सारी बातें हटाकर, सिर्फ यह लिख दिया गया है – "To make MSP more effective and transparent."

इसको करने के लिए जो कमेटी बनाई जा रही है, उसमें चेयरमैन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को बना दिया गया, जो उन तीन कानूनों के आर्किटेक्ट थे। उनके साथ नीति आयोग के मेंबर हैं, जो ये काले कानून लेकर आए। उसके बाद, इसमें जो पांच फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने लिखे हैं, उनमें से ... * और अन्य सारे लोग भाजपा के साथ संबंधित हैं। उनमें से एक महाराष्ट्र में बीजेपी के एमएलसी रह चुके हैं। ... * बीजेपी से हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई भी नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: सर, यह रिपोर्ट का हिस्सा है। इसमें जो पांच रिप्रजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर्स हैं, ये वही लोग हैं, जिन्होंने वोसीफेरसली इन कानूनों के हक में पूरे देश में शोर मचाया था और इनके हक में खड़े थे। उनको इसमें डाल दिया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जम्मू की यूनिवर्सिटी डाल दी, जबलपुर की यूनिवर्सिटी डाल दी। स्टेट गवर्नमेंट्स में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा शामिल की गई हैं, लेकिन जिन किसानों ने लड़ाई लड़ी, पंजाब के न किसान, न सरकार और न हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया है।

सर, किसानों को फिर एक बार आन्दोलन पर मत बैठाइए। यह पंजाब के साथ सरासर ज्यादती हो रही है।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Rahul Ramesh Shewale	Shri Shrirang Appa Barne Dr. Shrikant Eknath Shinde Shri Prataprao Jadhav
Shri Arvind Sawant	Shri Gopal Shetty
Shri Suresh Pujari	Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo

<u>12.27 hrs</u>

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON: Now, Matters under Rule 377 – Dr. Heena Vijaykumar Gavit.

(i) Need to amend existing guidelines pertaining to Jal Jeevan Mission

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): The Government is implementing Swacch Bharat Mission (Gramin) which includes Solid-Liquid Waste Management Program with the objective of bringing improvement in cleanliness, hygiene and the general quality of life in rural areas. Villages with population of more than 5000 are given funds directly for construction of drainage system.

The Jal Jeevan Mission Scheme is being implemented on mission mode wherein 55 litres *per capita* per day is being provided and the average water consumption for a household is 200 litres per household. The availability of water leads to generation of liquid waste and grey water which requires a proper drainage system in order to drain out the waste water which, if accumulated, can lead to increase in vector-borne diseases. The current guidelines state that for villages with less than 5000 population, funds are to be given through MNREGA and 15th Finance Commission Guidelines for construction of drainage system.

However, the said funds are inadequate and hence, I request the Government to kindly remove the cap on funding for villages with 5000 plus

population and make necessary amendments to the existing guidelines in order to provide funds for construction of drainage system in every village irrespective of the population which will ensure proper waste management and reduce pollution.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, जो पाठ आपके पास है, केवल उसी को पढ़िये। वही रिकॉर्ड में जाएगा, उसके इतर कुछ मत बोलिए।

… (व्यवधान)

(ii) Need to provide urea and DAP at subsidised rates to farmers in Chhattisgarh

श्री अरूण साव (बिलासपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन अत्यंत महत्वपूर्ण लोक महत्व का विषय उठाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद।

प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की तरक्की के लिए काम कर रही है। रासायनिक खादों में एक बड़ी सब्सिडी यूरिया में लगभग 2,700 रूपये, डी.ए.पी.में लगभग 2,500 रूपये प्रति बोरी मोदी जी की सरकार किसानों को दे रही है, परंतु छत्तीसगढ़ में कथित रूप से कालाबाजारी हो रही है और किसानों का शोषण हो रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस विषय पर संज्ञान लेकर राज्य सरकार को निर्देशित करें कि वे किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया, डी.ए.पी. आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(iii) Need to take necessary steps for growth of agriculture sector in the country

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : इस बात के काफी संकेत हैं कि देश में कृषि उत्पादकता और खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही है। प्रधान मंत्री ने उत्पादन में वृद्धि करने और तत्पश्चात् मूल्य श्रृखंला में सुधार लाने पर बल दिया है। कृषि क्षेत्र के धीमे विकास के मुख्य कारण कम सार्वजनिक निवेश, उत्पादकता में स्थिरता आना, मृदा का क्षरण, फसल कटाई अपशिष्ट, अल्पमूल्यवर्धन, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का अल्प उपयोग तथा किसानों के उत्पादों का बाजार के बिचौलियों द्वारा मूल्य निर्धारण किया जाना आदि है। देश में दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए इसमें इस प्रक्रिया को स्मरण करना और उससे सीखना होगा, जिससे प्रथम हरित क्रांति संभव हो पाई। जैव विज्ञान, जल संरक्षण, सूक्ष्म कृषि तथा जैव प्रौद्योगिकी आदि में इजराइल जैसे देशों के अनुभवों का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से इस संबंध में आग्रह करता हूं कि देश में कृषि के विकास हेतु हर संभव प्रयास करे।

(iv) Regarding recent terror activity in Udaipur, Rajasthan and growing network of terrorist organization in the State

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की योजनाबद्ध तरीके से साजिश रची गई। उदयपुर शहर के हाथीपोल क्षेत्र में मालदास स्ट्रीट में कन्हैयालाल टेलर की दुकान में घुसकर उसकी हत्या कर दी और हत्या का लाइव वीडियो बनाकर एक आपत्तिजनक वीडियो को वायरल कर दिया गया, जिससे हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव के हालात हो गए। जब इतनी बड़ी घटना की जांच एजेंसियों ने शुरू की तो पता चला कि इस हत्या के तार पाकिस्तान स्थित दावत-ए-इस्लामी संगठन से जुड़े हैं। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे इस संगठन का असल मकसद भारत में दहशत फैलाना एवं सांप्रदायिक दंगे करवाना है। यह संगठन राजस्थान में सक्रिय है और लगातार अपने पांव पसार रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान राज्य में लगातार फैल रहे दावत-ए-इस्लामी संगठन पर अति शीघ्र प्रतिबंध लगाया जाए और मृतक कन्हैयालाल को न्याय दिलाने के लिए जांच स्पेशल केस में लेकर दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए, जिससे मेरे शहर उदयपुर की शांत, सुरक्षित और निडर गलियों में फिर कोई दरिन्दा इस तरह की कोई हरकत नहीं करे। धन्यवाद।

माननीय सभापति : केवल आपका दिया हुआ पाठ रिकॉर्ड में जाता है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री रमेश बिधूड़ी जी।

श्री प्रतापराव जी।

(v) Regarding Nanded-Bidar Railway line project

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): सभापति महोदय, नांदेड़-बिदर रेल परियोजना जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र की महाराष्ट्र और कर्नाटक दो राज्यों को जोड़ने वाली अत्यधिक महत्वपूर्ण रेल परियोजना है, जिसे सरकार द्वारा बजट का आकलन करने के उपरांत पिंकबुक में सम्मिलित करते हुए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। मेरे द्वारा इस रेल परियोजना की प्रगति का ब्यौरा मांगने पर मुझे रेल मंत्रालय ने पत्र द्वारा अवगत कराया कि यह प्रस्ताव दोनों राज्य सरकारों की सहमति हेतु लंबित है अथवा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक सरकारों के पास अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। इस प्रक्रिया को लगभग एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन कार्य में अभी तक कोई आगे प्रगति नहीं हुई है। मेरी सरकार से आग्रहपूर्वक मांग है कि दोनों संबंधित सरकारों को एक न्यूनतम समय सीमा के अंदर अपनी-अपनी सीमावर्ती इलाकों से भूमि अधिग्रहण तथा बजट के प्रावधान को स्वीकृति देकर शीघ्रातिशीघ्र केन्द्र सरकार को सौंपे ताकि इस रेल मार्ग के सभी लाभार्थी जिलों के ग्रामीण इलाकों को भी लाभ मिले और अधिकतम ग्रामीण इलाकों को रेल सेवाओं से जोड़ने का प्रधान मंत्री जी का सपना भी साकार हो।

माननीय सभापति : श्री सुब्रत पाठक जी।

श्रीमती केशरी देवी पटेल जी।

(vi) Need to include 'Margashirsha Shukla Ekadasi' as 'Antarashtriya Geeta Diwas

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): सभापति महोदय, हमारा देश भारत एक धर्म परायण देश है। इस देश की धरती पर लगभग 5200 वर्ष पूर्व अवतरित श्रीमद् भगवद्गीता 700 श्लोकों का एक दिव्य ग्रन्थ है। यह एक अमूल्य चिन्तामणि रत्न, साहित्य सागर में अमृत कुम्भ और विचारों के उद्यान में कल्पतरू तथा धर्म में सत्य पथ का एक ज्योति स्तम्भ है। इसमें वेद का मर्म, उपनिषद का सार, महाभारत जैसा ऐतिहासिक ग्रन्थ का नवनीत तथा सांख्य का समन्वय है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक शास्त्र है जिसमें मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। यह अलौकिक ग्रन्थ एक ऐसा तत्वज्ञान है जिसमें भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की आत्मा बसती है और आज तक निर्विवादित रहा है। लगभग सभी सम्प्रदायों के संस्थापक महापुरुषों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में गीता का ही सत्य दुहराया है कि "ईश्वर एक है"। पूरे विश्व में समस्या बनी है। रक्तरंजित वातावरण, आतंकवाद, नस्लभेद, ऊंच-नीच तथा अनेकानेक मुद्दों से विश्व के हर राष्ट्र का नेतृत्व समाधान खोजने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन इन सबका सम्पूर्ण समाधान केवल श्रीमद् भगवद्गीता भाष्य यथार्थ गीता में ही भली प्रकार है। माननीय सभापति महोदय, इस संदर्भ में मेरी एक प्रार्थना तथा बहुमूल्य सुझाव है। हमारे पंचांग के अनुसार "गीता जयंती दिवस" मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी पर मनायी जाती है। हमारी मान्यता के अनुसार यह दिवस श्रीमद् भगवद्गीता का प्रतीकात्मक जन्म दिवस है। इसी दिन महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अत: विश्व में इस महान ग्रन्थ को यथोचित सम्मानित करने के लिए इस दिवस को "अंतर्राष्ट्रीय दिवस" घोषित कराने का प्रयास किया जाए ताकि विश्व जनमानस का ध्यान इसके उपदेशों पर केन्द्रित हो सके।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री देवजी पटेल जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : इसमे एसोशिएट नहीं। नियम 377 में एसोशिएट कहां होता है?

… (व्यवधान)

श्री देवजी पटेल (जालौर): सभापति महोदय, इन्होंने दिल से एसोशिएट कर दिया।

माननीय सभापति : जी**।**

(vii) Regarding augmentation of railway services providing better railway connectivity to Jalore district, Rajasthan

श्री देवजी पटेल (जालौर): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर में रेलवे संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

1. समदडी भीलडी मार्ग का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जाए।
2. ट्रेन संख्या 22483/84 जोधपुर गांधीधाम ट्रेन का मोदरण स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।
3. बाडमेर यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस 14805/14806 ट्रेन को सप्ताह में सातों दिन, प्रतिदिन चलाने एवं स्लीपर कोच जोड़ने के संदर्भ में।
4. जालोर से दिल्ली वाया जयपुर, समदडी भीलडी मार्ग, नई रेल प्रारंभ किया है।
5. जालोर जिला का दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों को निम्न रूप से रेलमार्ग से जोड़ा जाए-
    1. बेंगलुरु से जोधपुर वाया समदडी भीलडी
    2. हैदराबाद से जोधपुर वाया समदडी भीलडी
    3. कोयम्बटुर से जोधपुर वाया समदडी भीलडी
    4. चेन्नई से जोधपुर वाया समदडी भीलडी
6. जैसेलमेर – कांडला वाया सांचौर नई रेल लाइन का प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से स्वीकृत कर निर्माण कराया जाए।
7. दिल्ली सराय रोहिला भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 22421/22422 ट्रेन का विस्तार भीलडी जंक्शन तक करवाया जाए।

(viii) Need to promote scientific instruments industries in Ambala, Haryana

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): माननीय सभापति महोदय, मैं मान्यवर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी का ध्यान अम्बाला के विज्ञान उपकरण उद्योग की ओर दिलाना चाहता हूँ। अम्बाला विज्ञान उपकरण व रक्षा उत्पादों को बनाने के लिए विश्व विख्यात है। माइक्रोस्कोप, ग्लास डेयर, फिजिक्स व अन्य उपकरण यहां बनाये जाते है। अग्नि-5 में भी अम्बाला विज्ञान उद्योग के एक कारोबारी ने कुछ पुर्जे बनाये हैं। यहां पर 3,000 के लगभग इकाइयां कार्य कर रही हैं जिनकी सालाना टर्न ओवर 1500 करोड़ रूपये के लगभग है। चीन द्वारा भारत के अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर कब्ज़ा करने के बाद चीन ने अम्बाला के विश्व विख्यात विज्ञान उद्योग पर भी 45% कब्ज़ा कर लिया है। यदि अम्बाला के विज्ञान उद्योग को प्रशिक्षित लेबर उपलब्ध न करवाई गयी और चीन से आने वाले माल पर रोक न लगाई गयी तो हजारों लोगों को रोजगार देने वाला यह उद्योग तबाह हो जायेगा। इस उद्योग के लिए आज सरकार द्वारा अम्बाला के विज्ञान उद्योग से जुड़े उद्यमियों की मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत तरीका उन्नत करने की आवश्यकता है। यहां पर एक बड़ा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाये जाने की भी आवश्यकता है। यहाँ पर पहले टूल रूम और एक डीडीसी की स्थापना की गयी थी, जिसे आज बंद कर दिया गया है। मैं मांग करता हूँ कि सरकार अम्बाला के विज्ञान उद्योग को ड्रैगन अटैक से बचाया जाये।

(ix) Need to sanction Eastern Rajasthan Canal Project

श्रीमती जसकौर मीना (**दौसा**): माननीय सभापति जी, आज भारत की आर्थिक प्रगति का आधार आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र है। सरकार की नीति के आधार पर कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के अनेक उपाय किये जा रहे हैं। लेकिन कृषि में सिंचाई जल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा-राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन है। वर्षा दर भी राजस्थान में न्यून है। राज्य सरकार ने जो डी.पी.आर. बनाई उसमें दौसा जिले को कमाण्ड एरिया से बाहर रखा है।

अतः मैं आपके माध्यम से आज यह मांग करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा, जहां 90 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है, उन सभी कृषकों की पीड़ा को ध्यान में रखकर ई.आर.सी.पी. प्रोजैक्ट को मंजूर किया जाये।

(x) Need to set up a Krishi Vigyan Kendra in Pataliputra Parliamentary Constituency, Bihar

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): महोदय, आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि पटना जिला मे एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में कार्यरत है। यदि मेरे क्षेत्र के किसी किसान को कृषि से संबन्धित नवीनतम तकनीकी जानकारी अथवा लाभप्रद योजनाओं से अवगत होना हो तो उसे बाढ़ जाने हेतु करीब 80 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी जो किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत एवं व्यावहारिक नहीं है। उल्लेखनीय है कि सरकार के स्तर से किसानों को नए तरीके से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर उनकी आमदनी को दुगुनी करने की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई गयी हैं जिसमे कृषि विज्ञान केंद्र की अग्रणी भूमिका है। उक्त उद्देश्य से लाभान्वित होने से मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता पूर्ण रूप से वंचित है क्योंकि कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र की दूरी मेरे संसदीय क्षेत्र से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है।

यह भी विदित है कि पटना जिले का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तथा पटना जिले में तीन लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं तथा पटना में एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ मे स्थापित है। यदि जिले का क्षेत्रफल बड़ा हो तो उक्त जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का भी दृष्टांत उपलब्ध है । अतः माननीय कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कृपया प्राथमिकता के आधार पर मेरे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों (यथा- फुलवारीशरीफ़, दानापुर, मनेर, पालीगंज, मसौढ़ी, बिक्रम) में से किसी एक में, यथोचित स्थान पर कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की दिशा में वांछित आदेश एवं निर्देश अविलंब देने की कृपा की जाये।

(xi) Need to include Banjara community of Uttar Pradesh in the list of Scheduled Tribes

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान हमारे राज्य से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूं। बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालने का मामला बहुत दिनों से केंद्र सरकार में लंबित है। उत्तर प्रदेश का बंजारा समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक मानदंडों से बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इन्हीं कारणों से इस बारे मे राज्य सरकार की कैबिनेट ने 2013 में ही निर्णय लेकर अपनी प्रबल संस्तुति पत्रांक 1689, दिनांक 8.11.2013 के माध्यम से केंद्र को भेज चुकी है।

यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने के लिए निर्धारित 5 विशेषताओं में से सभी पर बंजारा समुदाय की योग्यता है, जिसका राज्य की अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध संस्थान, लखनऊ के द्वारा पूरी जांच के बाद सत्यापन किया गया और उसके बाद ही राज्य सरकार ने संस्तुति की। इस बाबत भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय के 2018 के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनाँक 15.3.2019 को समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 717/26-3-2019 से पुनः केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण दे दिया है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने का कार्य किया जाये।

माननीय सभापति : श्री राजू बिष्ट – उपस्थित नहीं।

(xii) Regarding Corporate Social Responsibility initiative in Panipat Refinery and NDRI, Karnal in Haryana

श्री संजय भाटिया (करनाल) : माननीय अध्यक्ष जी, आज दिल्ली और गुरुग्राम तेजी से विकासशील शहरों से इसकी निकटता के कारण, करनाल और पानीपत में सीएसआर व्यय हाल के दिनों में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इन फलते-फूलते शहरों में कुछ उच्चतम श्रेणी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल की जा रही है, जिसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल और जल संसाधनों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल, महिलाओं का सशक्तिकरण और सामाजिक, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देता रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र करनाल, पानीपत में विश्व स्तर के वस्त्र उत्पादों, चिकित्सा उपकरण, लिबर्टी फुटवियर और एनडीआरआई, पानीपत रिफाइनरी जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री व माननीय नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम मंत्री व कृषि मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि पानीपत रिफाइनरी में और करनाल एनडीआरआई में सीएसआर के माध्यम से महिला प्रशिक्षण केंद्र, ड्राइविंग स्कूल, महिला छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाए।

माननीय सभापति : श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया – उपस्थित नहीं।

(xiii) Regarding expeditious disinvestment of CCIL Kurkunta

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): CCIL Kurkunta stopped its production in 1998 and faced disinvestment in 2006 by the Government of India. With this disinvestment, more than 4,000 to 5,000 families have gone through severe financial crisis as this cement industry was the only source of their income.

After my pursuance of this matter since 2019, Secretaries-level meeting was called by the hon. Minister for Heavy Industries on 26.11.2019, which resulted in a public hearing in September, 2020 for three continuous days by the Pollution Board to seek queries or objection for starting the mining process of limestone in this area. Now, the people of this area found a ray of hope that at least something is going to start soon for their livelihood. In this area, limestone is in abundant quantity to start a cement factory of two million tonne capacity and this would last for more than 100 years. If the Clinker Process is granted by the Government of India, then it will be the game changer for the common people as it will generate more than 2,000 jobs through direct and indirect employment. I, therefore, request you to kindly give directions to the concerned authority to start the Clinker Process and expedite the disinvestment process of CCIL Kurkunta.

(xiv) Regarding construction of national highways in Rajsamand Parliamentary Constituency, Rajasthan

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): सभापति जी, आज देश में आवागमन के लिए जिस तेजी से नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण हो रहा है, वह प्रशंसनीय है।

मेरा संसदीय क्षेत्र राजसमंद पहाड़ी क्षेत्र के साथ विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है और अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विख्यात है। राजसमंद संसदीय क्षेत्र में आवागमन की सुगमता के लिए निम्नलिखित सड़कों का बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है।

1. वर्तमान में एनएच-158 जो कि मांडला भीलवाड़ा से रास तक स्वीकृत है और कार्य प्रगति पर है, उसे 40 किलोमीटर बढ़ाते हुए वाया रियाबडी, पादूकलां तक एनएच-89 से जोड़ा जाए।
2. एनएच-458 लाडनू से जस्साखेड़ा वाया मेड़ता कार्य हो चुका है परन्तु वन क्षेत्र की 32 किलोमीटर सड़क (रायपुर से जस्साखेड़ा) का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इस कार्य की डीपीआर बन रही है परन्तु अधिक विलम्ब हो रहा है। इसको शीघ्र पूर्ण कराया जाए।
3. एनएच-158 को एनएच 89 से जोड़ने के लिए लाम्बिया से पुष्कर वाया कुड़की 58 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति एनएच घोषित की जाए। इसके लिए राज्य सरकार से अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजी जा चुकी है।

माननीय सभापति: श्री रवनीत सिंह – उपस्थित नहीं।

डॉ. मोहम्मद जावेद – उपस्थित नहीं।

श्री दीपक बैज – उपस्थित नहीं।

श्री ए.के.पी. चिनराज – उपस्थित नहीं।

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ जी।

(xv) Regarding inclusion of natural fibers in Textile PLI Scheme

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): The Union Government approved the textile sector Production Linked Incentive (PLI) Program last year. Along with measures such as Rebate of State and Central Taxes and Levies and the Remission of Duties or Taxes on Export Products, this move was intended to herald a new era in the textile industry by providing raw materials at competitive prices, skill development, and other benefits, while boosting domestic manufacturing and lowering import bills.

The scheme provided incentives worth Rs 10,683 crore over a five-year period to boost the manufacture of high-value manmade fiber fabrics, apparel, and technological textiles. However, in this pursuit to push manufacturing of high-value manmade fiber fabrics, the natural fibers that are produced by plants, animals and geological processes, and are recyclable and biodegradable in nature have largely been ignored by the policymakers.

With right policies in place, new, expensive and exotic fabrics can be developed by natural fibers, promising high return to the farmers.

Especially, in our State, the weaving of Patnulu Khadi, which happened to have impressed Gandhiji when he visited the area in the early 1920s, can be turned into a thriving enterprise. As a result, it is critical for the Union Government to expand the scope of the proposed Phase II of the Textile PLI Scheme to include natural fibres in order to ensure doubling of farmers' income.

(xvi) Regarding approval of City Water Action Plan under AMRUT 2.0 Scheme (CWAP)

SHRI RAJENDRA DHEDYA GAVIT (PALGHAR): Sir, Vasai Virar City Corporate population of 24 lakh has been facing acute water crisis and against the demand of 372 MLD, available water from all sources is only 230 MLD. The corporation has prepared DPR for augmentation and strengthening of distribution system for 225 MLD (165 MLD from MMRDS Surya Scheme and 60 MLD from Kholasupada 1& 2). Out of the 310 MLD sewerage generated under Vasai Virar City Municipal Corporation, the present sewage treatment installed capacity of the Corporation is only 77 MLD. As such, 230 MLD STP capacity is required to be installed. The National Green Tribunal or the MPCB bas already imposed a penalty of Rs. 113.58 crore on the Corporation for not having required sewage treatment facility. To overcome the above problems, the Corporation has submitted the projects worth Rs 1200 crores in City Water Action Plan (CWAP) under AMRUT 2.0 scheme of the Union Government.

I request the Government to approve the said projects which will augment water supply distribution system & also provide underground sewerage system for Nalasopara (East & West). The grants need to be made available to the corporation by approving the above projects under Central Government AMRUT-2.0 Scheme.

(xvii) Need to restore Old Pension Scheme to teachers and employees of Navodaya Vidyalaya Schools

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): सभापति महोदय, देश के नवोदय विद्यालय ग्रामीण उम्मीदों को पंख लगा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की रोशनी फैलाने का काम नवोदय विद्यालयों ने करके दिखाया है। इस सफलता का श्रेय नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को जाता है, जो अपने परिवार और सामाजिक परिवेश को छोड़कर 24 घंटे कैम्पस में रहकर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इस महान सफलता के पीछे का दु:खद पहलू यह है कि ये शिक्षक विषम हालातों में काम करने वाले नवोदय विद्यालय के समस्त कर्मचारियों को सीसीएस 1972 पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधा से वंचित रखा गया है, जबकि सीबीएसई, सैनिक स्कूल, रेलवे स्कूल, एनसीईआरटी, एनआईओएस, तिब्बतन स्कूल आदि के कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि 1 जनवरी, 2004 के पहले के नवोदय विद्यालय के समस्त कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए इस ओल्ड पेंशन की सुविधा बहाल की जाए।

माननीय सभापति : श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी जी**-** उपस्थित नहीं।

माननीय सभापति: अब जीरो ऑवर का सबमिशन है। आज की सूची में यदि किसी का नाम रह गया हो**,** तो उसे अवसर दे दिया जाएगा।

श्री रितेश पाण्डेय जी।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति महोदय**,** हमारे देश में युवाओं को बेरोजगारी को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में करीब 12 हजार नौकरियां स्टार्ट अप की दुनिया में खत्म कर दी गयी हैं**,** जिसमें ओला**,** ब्लिंक इट**,** बायजू**,** अन एकेडमी**,** वेदांतू**,** कार 24**,** मोबाइल प्रीमियर लीग**,** लीडो लर्निंग आदि कंपनियों ने हजारों लोगों को निकालने का काम किया है**,** जिसकी वजह से आगे यह भी माना जा रहा है कि इन्हीं स्टार्ट अप सेक्टर्स में करीब 50 हजार नौकरियों को खत्म कर दिया जाएगा।

मैं आपके माध्यम से यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जो युवाओं और नौजवानों को नौकरी देने के लिए कानून बने हैं**,** उसमें जो री**-**स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट का एक क्लॉज डाला गया है**,** उसे ये कंपनियां रामबाण की तरह से अपने बिजनेसेज में इस्तेमाल कर रही हैं।

<u>13.00 hrs</u>

वे इसका बहाना लेकर लोगों को निकालने का काम कर रही हैं, जिसकी वजह से युवाओं का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में आ गया है। इस कारण से हजारों और लाखों परिवार अंधकार में चले गए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी से यह निवेदन करता हूँ कि वे इस मामले को गंभीरता से देखने का काम करें। जहाँ हमारे देश में नए-नए यूनिकॉर्न बन रहे हैं और नौजवानों को कहा जाता है कि आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को और इम्प्रूव करिए ताकि आपको नौकरियाँ मिल सकें, वहाँ पर इन नौजवानों को हमें सुरक्षा देने की जरूरत है। उनको आपकी सुरक्षा की

जरूरत है और उसके लिए आप श्रम एवं रोजगार मंत्री को निर्देशित कीजिए कि इस मामले की गंभीरता में जाएं और इन नौजवानों को एक सुरक्षा कवच देने का काम करें ताकि उनकी नौकरियाँ बची रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया जी, आप अपना शून्यकाल वाला मैटर बोलिए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान चेक बाउंस के कारण हो रही ज्यादती की तरफ दिलाना चाहता हूँ। लोग खाली चेक दे देते हैं, अपने आप पैसे भरकर फिर उसे बाउंस कराकर कानूनी कार्रवाई करते हैं। मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है कि जब तक यह प्रूफ न हो जाए कि जिसने चेक दिया, उसने कोई पैसा लिया या कोई माल लिया है तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। इसके बहुत ज्यादा केसेज पुलिस में चल रहे हैं और इसके कारण से लोग नाजायज तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस बारे में आवश्यक कार्रवाई जरूरी है कि चेक बाउंस के मामले में जो कानून बना हुआ है, जो नियम बना हुआ है, उस पर वापस विचार किया जाए और केवल वास्तव में माँगने वाले को जो दिए गए चेक हैं, उन्हीं पर कार्रवाई हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

13.02 hrs

MATTERS UNDER RULE 377- Contd.

HON. CHAIRPERSON: Matters under Rule 377 – Shri Subhash Chandra Baheria.

(xviii) Need to restore the operation of trains discontinued due to Covid-19 pandemic

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): देश में रोज ट्रेनों में लाखों लोग यात्रा करते हैं। आम आदमी के लिए अपने काम को लेकर यात्रा का पैसेन्जर ट्रेन (लोकल ट्रेन) ही सस्ता व सुलभ साधन है। कोरोना काल से पहले पैसेन्जर ट्रेनों का ठहराव सभी स्टेशनों पर होता था परन्तु कोरोना के बाद रेल मंत्रालय की ठहराव को लेकर जीरो बेस्ड नीति के चलते अनेक स्टेशनों पर पैसेन्जर ट्रेनों का ठहराव बन्द हो गया। इससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा आये दिन क्षेत्र में पैसेन्जर ट्रेनों के ठहराव की मांग उठ रही है। मेरा सदन के माध्यम से रेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि पैसेन्जर ट्रेन (लोकल ट्रेन) केवल लाभ के लिए नहीं, वरन् आमजन को आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भी चलाई जाती है। इसलिए पैसेन्जर ट्रेनों के मामले में नीति में परिवर्तन करके आमजन को राहत देते हुये पूर्व की भांति जिन स्टेशनों पर रूकती थी वहां पुनः ठहराव सुनिश्चित करायें।

(xix) Regarding redressal of electricity related grievances of the people in NCT of Delhi

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान विशेषतः माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान दिल्ली की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आदरणीय महोदय, दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है वहां मेरे संसदीय क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली में प्रतिदिन 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती होती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी व तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी के प्रयासों से शूटिंग रेंज रोड पर 3100 करोड़ की लागत से 400/220 किलो वाट के बिजलीघर के निर्माण से समस्या का समाधान हुआ है। परंतु बिजली के संबंध में दो समस्याएं और हैं। दिल्ली में वर्ष 2010 में 40.47 लाख उपभोक्ता थे जो बढ़कर अब 61.68 लाख हो गए हैं एवं 900 से 1000 करोड रुपए की कलेक्शन हर महीना वार होती है। बीएसईएस, यमुना पावर लिमिटेड में काफी अनियमितताएं हैं। मेरे क्षेत्र में महरौली विधानसभा में स्थित किशनगढ़, मसूदपुर डेरी, जे-जे बंधु कैंप, जय हिंद कैंप, राजोकरी, बीईएसई कैंप तथा छतरपुर विधानसभा में स्थित मांडी गांव, छतरपुर एक्सटेंशन, छतरपुर एनक्लेव, राजपुर खुर्द, राजपुर कॉलोनी में नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। कारण बताया जाता है कि लोड ज्यादा है और ट्रांसफार्मर फुक जाएगा। इसके साथ-साथ ओखला, सीलमपुर, मटिया महल, बल्लीमारान, मुस्तफाबाद में 80% बिजली चोरी होती है और कभी एकाध केस में चोरी पर रेड पड़ती है तो बिजली खपत के जो बिल बनते हैं उनकी 70 से 90 प्रतिशत पेनल्टी माफ कर दी जाती है जबकि इन्हीं परिस्थितियों में दिल्ली के अन्य इलाकों में बिजली के मिस यूज या थेफ्ट का मामला होने पर वहां 30 से 50 प्रतिशत तक ही छूट दी जाती है। यह भेदभाव क्यों? वहीं पुराने ट्रांसफार्मर भी नहीं बदले जाते हैं जबकि दिल्ली सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में कुल प्लान एक्सपेंडिचर बहुत घटा है। वर्ष 2011 में कुल प्लान एक्सपेंडिचर का 13.44% था जो अब वर्ष 2020-21 में मात्र 0.31% रह गया है। और उल्टे PPAC के नाम से 6 से 8 प्रतिशत दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। वह भी कहने के लिए 6% जबकि यह बढ़ोतरी डबल की गई है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के 4 कंपाउंड है। हर जगह 6% की बढ़ोतरी कर दी

गई जो उपभोक्ताओं को 12% तक बढ़ी कीमत देनी पड़ रही है। आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय में संज्ञान लें एवं दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से कुछ समाधान निकालने का प्रयास करें।

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.06 hrs

The Lok Sabha adjourned till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

14.18 hrs

The Lok Sabha reassembled at Eighteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

INDIAN ANTARCTIC BILL, 2022

माननीय सभापति : आइटम नं.13, माननीय मंत्री जी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): सभापति महोदय, चूंकि आज सदस्य बहुत बड़ी संख्या में अनुपस्थित हैं और विपक्ष भी उपस्थित नहीं है तो मेरा यह सुझाव और निवेदन होगा, बाकी अंतिम निर्णय आपका है, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल अंटार्कटिका को ले कर है। पहली बार इस विषय पर चर्चा होने वाली है। इसमें बहुत से ऐसे पहलू हैं, जो सबके ध्यान में आएं, जानकारी रहे। उसका भी एक अपना महत्व है, तो क्या हम इसको आज न ले कर किसी और दिन चर्चा के लिए ले सकते हैं? बिल इंट्रोड्यूज़ हो चुका है और अब कंसीड्रेशन की स्टेज पर है।

माननीय सभापति : यह सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है। अगर इसमें अच्छी तरह से चर्चा हो जाए तो बढ़िया होगा। मेघवाल जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाउस की सहमति की आवश्यकता है। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि हाउस में अपोज़िशन न के बराबर है और हाउस का सुझाव मुझे चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से यह मंशा है कि without the Opposition, the Bill should not be passed, तो इस हिसाब से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : चौधरी जी, आप बोलिए।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सरकार ने जो यह बिल पेश किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल में हम चाहते हैं कि ऑपोजीशन के लोग भी हों, सभी हों, जिससे सार्थक चर्चा हो सके। मेरा यह भी मानना है कि आज के इस महत्वपूर्ण बिल पर काँग्रेस के लोग और ऑपोजीशन के लोग जिस हिसाब से हाउस में नहीं हैं, उन्हें हाउस में रहना चाहिए था। यह हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम हाउस में रह कर इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करें, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि वे आज हाउस में नहीं हैं। अगर वे आज हाउस में होते तो इस पर चर्चा हो जाती।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, यह पार्लियामेंट डिबेट के लिए है, चर्चा के लिए है। यदि कोई भी अच्छा बिल, महत्वपूर्ण बिल, देश के हित में बिल, बिना ऑपोजीशन के सुझाव को सुने हुए पास होता है, जिस तरह आज काँग्रेस और ऑपोजीशन ने बॉयकॉट किया है, जब इतना महत्वपूर्ण बिल लगा हुआ था, तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार सभी चीज़ों पर चर्चा करना चाहती है और ऑपोजीशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि सरकार के सुझाव को मानकर इसको अगले दिन की चर्चा में डाल दिया जाए क्योंकि यह बिल अपने आप में, देश हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है।

HON. CHAIRPERSON: I understand, the sense of the House is to defer this Bill to a different date.

The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 22nd July, 2022, at 1100 a.m.

<u>14.22 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 22, 2022 / Ashadha 31, 1944 (Saka)

———

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)